

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक**  
(सुखराम खोखर, आर०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या  
प्रविष्टि दिनांक  
निर्णय दिनांक

02/2000  
22.05.2000  
24.01.2020

सरकार जरिए पुलिस अधीक्षक टोंक

..... सायल

बनाम ...

श्री मुस्लिम पुत्र मसूद खां जाति मुसलमान निवासी हसनपुरा थाना मेहन्दवास जिला टोंक

..... गैर सायल

**इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 (8) राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975**

उपस्थिति :-1-अभियोजन अधिकारी, राजकीय परोकार  
2- गैर सायल

निर्णय


दिनांक 24.01.2020

पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा गैर सायल मुस्लिम पुत्र मसूद खां जाति मुसलमान निवासी हसनपुरा थाना मेहन्दवास जिला टोंक के विरुद्ध यह इस्तगासा प्रस्तुत कर बताया कि गैर सायल अपराधिक प्रवृत्ति में लीन है, अतः गैर सायल के विरुद्ध राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाकर जिले से निष्कासित करने की कार्यवाही की जावे ताकि इलाके में शान्ति बने रहे।

इस्तगासा प्रस्तुत होने पर गैर सायल की तलबी जरिये सम्मन / वारन्ट की गई। गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल को आरोप इस्तगासा पढकर सुनाया गया गैर सायल द्वारा आरोपों से इन्कार किया तथा लिखित में जवाब पेश करने से इन्कार किया गया। बहस सुनी गई।

अभियोजन अधिकारी ने बहस करते हुए निवेदन किया कि गैर सायल के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत हुए हैं। गवाहान जो प्रेशिक्यूशन ने प्रस्तुत किये हैं उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। गैर सायल के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट व चार्जशीट पेश की और वह मुकदमों में गुण्डा साबित होता है। गैर सायल के विरुद्ध तहत अभियोग क्रमशः 87/1995 धारा 379,101/1999 धारा 341,323,379,132/1999 धारा 4/25 व 02/2000 धारा 341,323,324,394 आर्म्स एक्ट, चोरी आदि थाना मेहन्दवास जिला टोंक को उक्त धाराओं के तहत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किये गये। अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि उक्त अभियोग आर्म्स एक्ट, चोरी आदि से संबंधित है। गैर सायल की अपराधिक

*Deu*  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक



गतिविधियों से समाज के लोगों पर काफी बुरा असर पड़ रहा है। अतः गैर सायल को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत जिले से अन्य जिले में निष्कासित किया जावे।

गैर सायल ने कथन किया कि पूर्व में जिन प्रकरणों में आरोप लगाये गये हैं वह केवल लडाई-झगडे के हैं न कि किसी बड़े अपराध अपहरण, हत्या, बलात्कार, चोरी इत्यादि के हैं तथा गुण्डा एक्ट के तहत किसी भी अपराधी का आदतन अपराधी होना आवश्यक है किन्तु इस संबंध में प्रार्थी मुल्जिम का कोई रिकार्ड नहीं है। प्रकरणों का पूर्व में निस्तारण हो चुका है। वर्तमान में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है। लिहाजा इस्तगासा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त परिशीलन किया तथा अभियोजन अधिकारी एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल के विरुद्ध प्रस्तुत इस्तगासा गुण्डा एक्ट की धारा 3 (8) में प्रस्तुत किया है तथा गैर सायल के विरुद्ध उक्त प्रकरण आर्म्स एक्ट, चोरी आदि से संबंधित है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर होता है कि गैर सायल लडाई झगडा करने का आदी है इस कारण समाज के लोगों पर निश्चित रूप से बुरा असर पड़ रहा है तथा भविष्य में भी गैर सायल अपराधिक कार्य को अंजाम दे सकता है। इसलिए इस अपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए समाज हित में शांति व्यवस्था बनाये रखना आवश्यक है।

अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं चार्जशीट तथा दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात पुलिस अधीक्षक, टोंक द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा स्वीकार कर गैर सायल मुस्लिम पुत्र मसूद खां जाति मुसलमान निवासी हसनपुरा थाना मेहन्दवास जिला टोंक को दिनांक 10.02.2020 तक की अवधि के लिए शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पुलिस थाना मेहन्दवास जिला टोंक से पुलिस थाना घाड जिला टोंक के लिए निष्कासित किया जाता है तथा उसे पाबन्द किया जाता है कि वह प्रकरण में अंकित अपराधों की पुनरावृत्ति नहीं करेगा एवं थानाधिकारी पुलिस थाना घाड जिला टोंक के यहां प्रतिदिन हाजरी दर्ज करावेगा। इस संबंध में थानाधिकारी पुलिस थाना मेहन्दवास जिला टोंक आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावे। फौसले की प्रति संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला पुलिस अधीक्षक एवं सम्बन्धित थानाधिकारी को प्रेषित की जावे। प्रकरण फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा बाद जाप्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



*Handwritten signature*

(सुखराम खोखर)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

